



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]
No. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2005/श्रावण 6, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2005/SRAVANA 6, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 510(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वेल्डिकोक्सिब वाली औषधि विनिर्मितियों के उपयोग से मानव जीवन को कतिपय जोखिम की संभावना है;

और औषधि के बेहतर सुरक्षित अनुकल्प उपलब्ध हैं;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में इस औषधि का विनिर्माण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित औषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण का प्रतिषेध करती है, अर्थात्:—

“मानव उपयोग के लिए वेल्डिकोक्सिब और इसकी विनिर्मितियां”

[फा. सं. 11014/1/2005-डी.एम.एस. एंड पी.एफ.ए.]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2005

G.S.R. 510(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of drug formulations containing Valdecoxib are likely to involve certain risk to human beings;

And, whereas safer alternative to the drug are available;

And, whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of this drug in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug, with immediate effect, namely:—

“Valdecoxib and its formulations for human use”

[F. No. 11014/1/2005-DMS & PFA]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.